(15)

संख्या : 302 / छप्पन–2014–98 / 13

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग — लखनऊ : दिनांक : 04 मार्च, 2014

विषयः आगरा स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के मुआवजे की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1154 / ए0एफ0–38–89(बी) / 2014, दिनांक 05.02.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त प्रयोजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 27.40 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी हैं।

2– इस परिप्रेक्ष्य में शासन के पत्र संख्या–2014 / छप्पन–2013–98 / 13, दिनांक 09.01.2014 के द्वारा आगरा स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि निःशुल्क रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु चयनित भूमि की अनुमानित लागत रू0 28.40 करोड़ के सापेक्ष रू0 1.00 करोड़ की स्वीकृति प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी है।

3– अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 27.40,00,000.00 (रू0 सत्ताईस करोड़ चालीस लाख) मात्र की धनराशि के व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है।

4– शासनादेश संख्या–2014 / छप्पन–2013–98 / 13, दिनांक 09.01.2014 में इंगित नियम / शर्तें यथावत रहेगी। उक्त धनराशि भूमि की व्यवस्था हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 27.40 करोड़ को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन पर रखा जायेगा और यथावश्यकता समय–समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

5– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–02–विमानपत्तन–800–अन्य व्यय–20–हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन–24–बृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई–7–290 / दस–2014, दिनांक 28 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

वरिष्ठ सहायक की पूर्ति

——2

संख्याः 302(1)/छप्पन–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/आगरा।
(4) जिलाधिकारी, आगरा।
(5) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आगरा।
(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7
(8) नियोजन अनुभाग–4
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।